न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/80/2023

बउनवान

1. महेन्द्र कुमार पुत्र मंशाराम जाति ओड राजपूत निवासी तिलवाड़ तहसील रामगढ़ हाल तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

————वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

————प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री रामसहाय गुर्जर– अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार– प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 04.07.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं. 1338 रकबा 0.06 है0, 1364 रकबा 0.03 है0, 1823 रकबा 0.01 है0, 238 रकबा 0.03 है0, सम्पूर्ण व खसरा नं. 1374 रकबा 0.10 है0 का 1/7 हिस्सा जिसके साबिक खसरा नं. 1056 मिन रकबा 5 बिस्वा, 1079 मिन रकबा 2 बिस्वा, 1444 मिन रकबा 1 बिस्वा, 194 मिन रकबा 2 बिस्वा सम्पूर्ण व 1089 रकबा 8 बिस्वा का 1/7 हिस्सा वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील रामगढ़ हाल तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो आराजी वादपत्र में विवादित आराजी है जिसे आगे चलकर वादपत्र में आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी वादी को अपने दादा विसनाराम पुत्र वसन्दराम द्वारा जर्ये वसीयतनामा दिनांक 08.11.1976 से प्राप्त हुई। जिस पर वादी

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

अपने बुजुर्गान के जीवनकाल से काबिज दाखिल रहा है और उसकी मृत्यु के पश्चात वादी वर्तमान में काबिज दाखिल चला आ रहा है।

यह है कि वादी अपने दादा की मृत्यु के पश्चात वसीयत को लेकर पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने वसीयत का इन्तकाल दर्ज करने से मना कर दिया क्योंकि विवादित आराजी गैर खातेदारी की आराजी है, जो वादी के दादा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है।

यह है कि विवादित आराजी वादी के दादा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादी को सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है तथा वादी के हक–हकूक जायल हो रहे है। इसलिए वादी वसीयतनामा के आधार पर वादी के दादा विसनाराम पुत्र बसन्दाराम के नाम दर्ज विस्थापित गैर खातेदार अ.विव.(व्यवस्थापित) के इन्द्राज को कलमजन करवाकर वादी के नाम का इन्द्राज कराने का कानून अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा दावा इस्तकरारहक विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 1338 रकबा 0.06 है0, 1364 रकबा 0.03 है0, 1823 रकबा 0.01 है0, 238 रकबा 0.03 है0, सम्पूर्ण व खसरा नं. 1374 रकबा 0.10 है0 का 1/7 हिस्सा जिसके साबिक खसरा नं. 1056 मिन रकबा 5 बिस्वा, 1079 मिन रकबा 2 बिस्वा, 1444 मिन रकबा 1 बिस्वा, 194 मिन रकबा 2 बिस्वा सम्पूर्ण व 1089 रकबा 8 बिस्वा का 1/7 हिस्सा वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील रामगढ़ हाल तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी ने जवाब में कथन किया है कि ग्राम तिलवाड़ के आराजी खसरा नं. 1338 रकबा 0.06 है0, 1364 रकबा 0.03 है0, 1823 रकबा 0.01 है0, 238 रकबा 0.03 है0, कुल किता 4 रकबा 0.13 है0 सम्पूर्ण विशनाराम पुत्र बसन्दाराम राजपूत साकिन देह गैर खातेदार (व्यवस्थापित) तथा हाल आराजी खसरा नं. 1374 रकबा 0.10 है0 गै0मु0 चाह में जमनाराम पुत्र बुददूराम का 1/7 हिस्सा , जिवन्दाराम पुत्र कर्मचंद 1/7 हिस्सा, टोपनराम पुत्र डगूराम 1/7 हिस्सा, मंगूराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

चेताराम 1/7 हिस्सा, मूलचंद पुत्र बुधाराम 1/7 हिस्सा, मंशाराम पुत्र किशनाराम 1/7 हिस्सा, विशनाराम पुत्र बसन्ताराम 1/7 हिस्सा जातियान राजपूत साकिन देह गैर खातेदार व्यवस्थापित दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त आराजी खसरा नं. 1364 रकबा 0.03 है0, 1338 रकबा 0.06 है0 किता 2 सम्पूर्ण पर एवं खसरा नं. 1374 रकबा 0.10 है0 में 1/7 हिस्से पर महेन्द्र कुमार पुत्र मंशाराम राजपूत निवासी तिलवाड़ का कब्जा काश्त है। मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही है।

तनकी नं. 1 :– आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नं. 1338, 1364, 1823, 238, 1374 वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील गोविन्दगढ़ में अपने हिस्से अनुसार गैर खातेदारी आराजी को इस न्यायालय से खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है ?

—— **जिम्मे वादी**

तनकी नं. 2 :– आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नं. 1338, 1364, 1823, 238, 1374 वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील गोविन्दगढ़ की गैर खातेदारी आराजी को इस न्यायालय से खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी नही है ?

—— **जिम्मे प्रतिवादी**

तनकी नं. 3 :– दीगर दादरसी ?

वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी महेन्द्र कुमार पुत्र मंशाराम जाति ओड राजपूत निवासी तिलवाड़ **पी डब्ल्यू–1**, गवाह अशोक कुमार पुत्र सावणराम जाति ओड राजपूत निवासी तिलवाड़ **पी डब्ल्यू–2**, गवाह विकास कुमार पुत्र चन्द्रभान जाति ओड राजपूत निवासी तिलवाड़ **पी डब्ल्यू–3** के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है जो शामिल पत्रावली है। तथा वादी ने अपने दावे की ताहिद में नकल जमाबंदी संवत 2076–79 **प्रदर्श–1**, वसीयतनामा दिनांक 08.11.1976 **प्रदर्श–2**, मिलान क्षेत्रफल 2058 **प्रदर्श–3**, मिसल बंदोबस्त 2058 **प्रदर्श–4**, खसरा गिरदावरी 2009 से 2012 **प्रदर्श–5**, जमाबंदी संवत् 2016–19 **प्रदर्श–6**, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 **प्रदर्श–7** वाके ग्राम तिलवाड़ तह0 गोविन्दगढ़ पेश कर प्रदर्शित कराये है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। साथ ही कथन किया कि राज0 सरकार राजस्व (ग्रुप–10/पुर्नवास) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार ऐसी सम्पत्तियों पर सन् 2012 से काबिज वैध आंवटियों से भिन्न व्यक्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2012 से 2019 तक पट्टेदार , गैर मोरूसी, मौरूसी, रहन मुतर्हन के नाम से दर्ज थे तथा भू–प्रबंध के दौरान गैर खातेदार अंकित कर दिये गये तथा आज तक राजस्व रिकॉर्ड में तदानुसार दर्ज है। उन्हे निम्न प्रकार प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जावे– संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पर राजस्व रिकॉर्ड की भली–भॉति जॉच कर नवीनतम रिकॉर्ड एवं मौका स्थिती की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर प्रकरणों में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी देने की कार्यवाही करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्होनें इस परिपत्र में उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारों से बिना किसी विक्रय पत्र या इकरारनामा के भूमि क्रय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हों उन्हे सक्षम न्यायालय से स्वामित्व/कब्जे के बारे में निर्णय करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात नियमतीकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे।

प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब दावें के तथ्यों का दोहराया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस का मनन किया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील गोविन्दगढ़ **(प्रदर्श–1)** अनुसार आराजी खसरा नं. 1338 रकबा 0.06 है0, 1364 रकबा 0.03 है0, 1823 रकबा 0.01 है0, 238 रकबा 0.03 है0 बिसनाराम पुत्र बसन्दाराम हिस्सा पुर्ण सा0देह गैर खातेदार अ.वि.व.(व्यवस्थापित) दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी खसरा नं. 1374 रकबा 0.10 है0 गै0मु0 चाह में जमनाराम पुत्र बुद्दूराम का 1/7 हिस्सा , जिवन्दाराम पुत्र कर्मचंद 1/7 हिस्सा, टोपनराम पुत्र डगूराम 1/7 हिस्सा, मंगूराम पुत्र चेताराम 1/7 हिस्सा, मूलचंद पुत्र बुधाराम 1/7 हिस्सा मंशाराम पुत्र किशनाराम 1/7 हिस्सा, विशनाराम पुत्र बसन्ताराम 1/7 हिस्सा जातियान राजपूत साकिन देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2058

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

(प्रदर्श–3) अनुसार आराजी खसरा नं. 1338, 1364, 1374 क्रमशः 1056 मिन, 1079 मिन, 1089 से बने है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 **(प्रदर्श–7)** अनुसार खसरा नं. 1056 मिन, 1079 मिन, 1089 क्रमशः खसरा नं. 784, 793, 803 मिन से बने है। खतोनी जमाबंदी संवत् 2058 **(प्रदर्श–4)** अनुसार खसरा नं. 1338, 1364 बिसनाराम पुत्र बसन्दाराम राजपूत सा0देह (व्यवस्थापित) गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खतोनी संवत 2028 अनुसार खसरा 1089 बिसनाराम पुत्र बसन्ताराम हिस्से अनुसार गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। संवत् 2012–20 के राजस्व रिकॉर्ड **(प्रदर्श–6)** ग्राम तिलवाड़ तहसील तात्कालिक लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर अनुसार खसरा नं. 784, 793 में विसनाराम पुत्र बसन्ताराम राजपूत सा0देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। **(प्रदर्श–2)** उप पंजीयक रामगढ़ द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 08.11.1976 के अनुसार बिसनाराम पुत्र बसन्दाराम जाति राजपूत द्वारा ग्राम तिलवाड़ की अपनी कृषि भूमि अपने बडे भाई किशनाराम के पौते श्री महेन्द्र कुमार पुत्र मंशाराम के नाम करने हेतु दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया गया। तहसीलदार गोविन्दगढ़ की रिपोर्ट/जवाब अनुसार आराजी खसरा नं. 1364 रकबा 0.03 है0, 1338 रकबा 0.06 है0 किता 2 सम्पूर्ण पर एवं खसरा नं. 1374 रकबा 0.10 है0 में 1/7 हिस्से पर महेन्द्र कुमार पुत्र मंशाराम राजपूत निवासी तिलवाड़ का कब्जा काश्त है। मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही है। अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नं. हाल आराजी खसरा नं. 1338 रकबा 0.0600 है0 सम्पूर्ण , 1364 रकबा 0.0300 है0 सम्पूर्ण एवं खसरा नं. 1374 रकबा 0.1000 है0 में 1/7 हिस्से पर वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज विसनाराम पुत्र बसन्दाराम/बसन्ताराम जाति राजपूत सा.देह गैर खातेदार अ.विव. (व्यवस्थापित) को कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार गोविन्दगढ़ को आदेश दिया जाता है। वादी से उक्त आराजी की राज्य सरकार के परिपत्रों/आदेशों के अनुसार नियमतीकरण

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

शुल्क एवं शास्ति जमा राजकोष उपरान्त तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

आज दिनांक 04.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस
राजस्व वाद संख्या 1/80/2023

बउनवान

1. महेन्द्र कुमार पुत्र मंशाराम जाति ओड राजपूत निवासी तिलवाड़ तहसील रामगढ़ हाल तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

———डिक्रीदार

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

———मदयूनान

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

आदेश

अतः वादी के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नं. हाल आराजी खसरा नं. 1338 रकबा 0.0600 है0 सम्पूर्ण , 1364 रकबा 0.0300 है0 सम्पूर्ण एवं खसरा नं. 1374 रकबा 0.1000 है0 में 1/7 हिस्से पर वाके ग्राम तिलवाड़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज विसनाराम पुत्र बसन्दाराम/बसन्ताराम जाति राजपूत सा.देह गैर खातेदार अ.विव.(व्यवस्थापित) को कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार गोविन्दगढ़ को आदेश दिया जाता है। वादी से उक्त आराजी की राज्य सरकार के परिपत्रों/आदेशों के अनुसार नियमतीकरण शुल्क एवं शास्ति जमा राजकोष उपरान्त तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

आज दिनांक 04.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)